

समाज कल्याण विभाग  
दिल्ली सरकार  
विधान सभा अतांरकित प्रश्न संख्या: 273  
प्रश्नकर्ता: श्री विजेन्द्र गर्ग  
दिनांक: 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता स्वरूप दी जाने वाली 10 हजार रु० की धनराशि को बढ़ाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है;	जी हाँ । विभाग द्वारा चलाई जा रही दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 10 हजार रु० की धनराशि को वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 20 हजार रु० (एकमुश्त) कर दिया गया है ।
(ख)	क्या विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता-राशि को भी बढ़ाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है; और	ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।
(ग)	यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?	उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं होता ।

पंकज कुमार

SP. Director (Social Welfare)  
Social Welfare Department  
Govt. of NCT of Delhi  
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
New Delhi-110002